

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या-697 /सेक-2-पांच-16-7(303)/2013
लखनऊ: दिनांक 17/02/2016 फरवरी, 2016

कार्यालय-जाण


डा० रीता गुप्ता(वरिष्ठता क्रमांक-6311), प्रधानाचार्य, आर०एफ०पी०टी०सी०, मेरठ को उनके प्रार्थना पत्र में किये गये अनुरोध एवं तत्सम्बंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-1फ/97-म-87/5058, दिनांक 26.08.13 एवं पत्र संख्या-1फ/97-म-87/718, दिनांक 23.01.14 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 के प्राविधानों के अन्तर्गत डा० रीता गुप्ता को दिनांक 01.03.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति एतद्वारा प्रदान करते हैं।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-697 (1)/सेक-2-पांच-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक(पेंशन), पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6- प्रधानाचार्य, आर०एफ०पी०टी०सी०, मेरठ।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
- 8- संबंधित चिकित्साधिकारी (द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ)।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनुसचिव।